रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 893] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2012/वैशाख 21, 1934

No. 893] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2012/VAISAKHA 21, 1934

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 मई, 2012

का.आ. 1059(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के साथ पठित चीनी (नियंत्रण) आदेश 1966 के खंड (4), खंड (5) और खंड (10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तारीख 31 जुलाई, 2007 के आदेश सं. का. आ. 1310(अ) को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हैं या किए जाने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि :–

(क) निर्वात कडाह प्रक्रिया द्वारा चीनी के उत्पादक से मुख्य निदेशक (चीनी), चीनी निदेशालय से खुली साधारणअनुज्ञप्ति (ओजीएल) के अधीन निर्यात के प्रयोजनों के लिए चीनी सीजन 2011-12 के दौरान उत्पादित कच्ची चीनी सहित गैर-लेवी चीनी के पारेषण के लिए निर्मुक्ति आदेश अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी । इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को अधिमानी कोटे के अधीन निर्यात शामिल नहीं है ;

(ख) चीनी का कोई उत्पादक या कोई आयातकर्ता और निर्यातकर्ता व्यापारी जिसने अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के अधीन कच्ची चीनी आयात की है या आयात करता है तथा अपनी निर्यात बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रसंस्कृत सफेद या कच्ची चीनी का निर्यात करता है, मुख्य निदेशक (चीनी), चीनी निदेशालय से, -

(i) 'खाद्यान्न से खाद्यान्न' के आधार पर निर्यात निर्मुक्ति आदेश अभिप्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा ;

(ii) टन से टन के आधार पर निर्यात निर्मुक्ति आदेश अभिप्राप्त करना अपेक्षित होगा ;

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट निर्यातों के संबंध में निर्यातक,-

(i) पारेषण मात्रा और किस्म आदि के संबंध में http://egrains.nic.in/e-sugar वेबसाइट पर चीनी को हटाने की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर उपाबंध-1 में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में सूचना अपलोड करेगा और इसके संबंध में एक कम्प्यूटरीकृत अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा ।

(ii) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्यात के लिए पारेषित मात्रा वास्तव में निर्यात की जाए और पारेषण के 60 दिवसों के भीतर किसी पारेषण क्वालिटी के निर्यात न किए जाने की दशा में वह मुख्य निदेशक (चीनी), चीनी निदेशालय को व्यतिक्रम के कारणों की सूचना देते हुए संबंधित केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क प्राधिकारियों तथा संबंधित राज्य सरकारों के गन्ना आयुक्त या आयुक्त (चीनी) या निदेशक (चीनी) को सूचित करेगा ;

(iii) http://egrains.nic.in/e-sugar वेबसाइट पर वास्तविक निर्यात के ब्यौरों को अपलोड करेगा और उसकी एक स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति उपाबंध-2 में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में पश्चात्‌वर्ती मास के 10 दिनों के भीतर मुख्य निदेशक (चीनी), चीनी निदेशालय को प्रस्तुत करेगा ;

(iv) ऊपर उपखंड (1) और उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट समय के अनुसार, उपाबंध-1 और उपाबंध-2 cdsugar.export@nic.in द्वारा मुख्य निदेशक (चीनी) चीनी निदेशालय को प्रस्तुत करेगा ;

(v) मुख्य निदेशक (चीनी), चीनी निदेशालय से घरेलू बाजार में निपटान से पूर्व पूर्वानुमति प्राप्त करेगा ; जहां निर्यात के लिए पारेषित चीनी नष्ट हो जाती है या किसी भी कारण से निर्यात के योग्य नहीं रहती है ।

(घ) लेवी चीनी से सफेद या कच्ची निर्यात की गई चीनी की मात्रा पर कोई छूट नहीं होगी और चीनी उत्पादक निर्यातित सफेद या कच्ची चीनी की बाध्यता सहित लेवी चीनी की बाध्यता के बराबर अपेक्षित लेवी चीनी का भंडार रखेगा ।

2. उन निर्यातों, जिनके लिए चीनी निदेशालय में निर्मुक्ति आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं, को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है ।

3. ये आदेश राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

[फा. सं. 1-16/2011/एस.पी-I]

टी. जैकब संयुक्त सचिव

उपाबंध-1

http://egrains.nic.in/e-sugar वेबसाइट पर अपलोड किया जाए

प्रपत्र

.... को खुली साधारण अनुज्ञप्ति के अधीन निर्यात के लिए चीनी के हटाए जाने पर रिपोर्ट

चीनी कारखाने का नाम :

संयंत्र का संक्षिप्त नाम और कोड सं0 :

(मी0 टन में)

ए.आर.ई. -1 संख्या और तारीख	निर्यातक का नाम और आई.ई.सी. कोड	ए.आर.ई. -1 के प्रति हटाई गई चीनी की मात्रा		
		कच्ची चीनी	सफेद/परिष्कृत चीनी	योग
1	2	3	4	5
योग				

टिप्पण : उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करना चीनी कारखाने द्वारा निर्यात का प्रमाण नहीं समझा जाएगा ।

उपाबंध-2

http://egrains.nic.in/e-sugar वेबसाइट पर अपलोड किया जाए

प्रपत्र

.... को समाप्त मास के लिए चीनी के वास्तविक निर्यात संबंधी मासिक रिपोर्ट

चीनी कारखाने का नाम :

संयंत्र का संक्षिप्त नाम और कोड सं0 :

(मी0 टन में)

ए.आर.ई. -1 संख्या और तारीख	प्रणाली जनित अभिस्वीकृति संख्या	निर्यातक का नाम और आई.ई.सी. कोड	प्रेषित की गई मात्रा			निर्यात की गई मात्रा			मास के अंत में निर्यात न की गई शेष मात्रा
			कच्ची चीनी	सफेद चीनी	योग	कच्ची चीनी	सफेद चीनी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(चीनी कारखाने के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)

स्थान : नाम :

तारीख : पदनाम :

टिप्पण : उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करना चीनी कारखाने द्वारा निर्यात का प्रमाण नहीं समझा जाएगा ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 11th May, 2012

S.O. 1059(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, read with clauses 4, 5 and clause 10 of the Sugar (Control) Order, 1966 and in supersession of the order of the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, No. S.O. 1310(E) dated the 31st July 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that:-

(a) a producer of sugar by vacuum pan process shall not be required to obtain release order from the Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar for dispatch of non-levy sugar including raw sugar produced during sugar season 2011-12 for the purpose of export under Open General License (OGL) till further orders. This excludes export to the United States and member countries of the European Union under preferential quota;

(b) a producer of sugar or a merchant importer-exporter who has imported or imports raw sugar under Advance Authorisation Scheme and exports processed white or refined sugar for fulfilment of his export obligation,-

(i) on 'grain-to-grain' basis, shall not be required to obtain an export release order;

(ii) on the 'ton-to-ton' basis shall be required to obtain an export release order,

from the Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar;

(c) the producer shall, in respect of exports referred to in clause (a) ,-

(i) upload the information regarding consignment quantity and type etc. on the web-site http://egrains.nic.in/e-sugar within three working days from date of removal of sugar, in the proforma as specified in Annexure-I, and a system generated acknowledgment of the same shall be obtained;

(ii) ensure that the quantity dispatched for export gets physically exported and in the event of any dispatched quantity remaining un-exported within sixty days of the dispatch, it shall immediately inform the concerned Central Excise and Customs Authorities and the Cane Commissioner or Commissioner (Sugar) or Director (Sugar) of the concerned State Governments under intimation to the Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar, giving reasons for such default;

(iii) upload the details of physical export on the web-site http://egrains.nic.in/e-sugar and furnish a self certified copy of the same to the Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar within ten days of the succeeding month in the proforma specified in Annexure-II;

(iv) submit Annexure-I and Annexure-II to the Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar as per the time specified in sub-clause (i) and (iii) above respectively, through e-mail on cdsugar.export@nic.in

(v) obtain prior approval of the Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar, before its disposal in the domestic market; where sugar dispatched for export gets damaged or becomes unfit for export for any reason whatsoever.

(d) there shall not be any exemption from levy sugar on the quantity of white or raw sugar exported and producer of sugar shall maintain the requisite levy sugar stock equivalent to the levy sugar obligation including obligation on exported white or raw sugar.

1700 GI/12-2

2. Exports for which Release Orders have already been issued by the Directorate of Sugar are excluded from the purview of this Order.

3. This order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1-16/2011-SP. I]

T. JACOB, Jt. Secy.

Annexure-I

To be uploaded on web site -http://egrains.nic.in/e-sugar

PROFORMA

Report on removal of sugar for export under OGL on.......................

Name of the sugar factory :
Short Plant Name and Code No. :

(In MT)

A.R.E- 1 No. & date	Name of the exporter & IEC code	Quantity of Sugar removed against ARE-1		
		Raw Sugar	White/ refined sugar	Total
1	2	3	4	5
Total				

Note: the furnishing of the above information should not be construed as proof of export by the sugar factory.

Annexure-II

To be uploaded on web site -http://egrains.nic.in/e-sugar

PROFORMA

Monthly Report on physical export of sugar for the month ....

Name of the sugar factory :

Short Plant Name and Code No. :

(In MT)

A.R.E. 1 No. & date	System generated acknowledgement No.	Name of the exporter & IEC code	Quantity dispatched			Quantity exported			Quantity remaining un-exported at the end of the month
			Raw sugar	White sugar	Total	Raw sugar	White sugar	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(To be signed by the an authorized representative of sugar factory)

Place:

Name:___________

Date:

Designation :___________

Note: the furnishing of the above information should not be construed as proof of export by the sugar factory.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.